

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)
पीठासीन अधिकारी:- सुमन देवी
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

मुकदमा नम्बर :- 152/2025 (करीना वगै0 बनाम सुभाष चन्द्र वगै0)


निर्णय दिनांक :-19.11.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरू, सुमन देवी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रुबरू वकील प्रतिवादी मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.11.2025 द्वारा पारित निर्णयानुसार जमीन जैर बहस वाके ग्राम पीथूसर स्थित भूमि खाता संख्या 99 के ख0न0 115 रकबा 1.48 है0 तथा खाता संख्या 100 के ख0न0 177, 302 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 3.15 है0 भूमि में वादीगण की दादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की माता संतोष देवी का फौतगी नामान्तरकरण दर्ज करने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्से में आने वाली भूमि में से वादीगण प्रत्येक को 1/3-1/3 हक हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.11.2025 को जारी की गई।




(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर